क्रमांक 920-3 जी0 एस0-II-72/6247

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा राज्य के सभी उप-मण्डल अधिकारी।

2. रजिस्ट्रार पंजाब व हरियाणा उच्च-न्यायालय या हरियाणा राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दिनांक चण्डीगढ, 2 मार्च, 1972

विषय :– सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान की देय मात्रा।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 7260-3 जी0 एस0-II-71/88(दिनांक 10-1-72 के पैरा (1) की ओर दिलाने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध है कि उन केसों में जहां मृतक के परिवार या कोई सदस्य कमाता हो या परिवार के पास कोई अन्य आय के साधन हो अन्यथा देय न्यूनतम अनुदान की राशि को 50% कम कर दिया जाएगा। इस विषय पर आगे विचार करके यह निर्णय किया गया है कि परिवार के पास आय के स्वतन्त्र साधन होने के कारण या अन्य किसी कारण अनुदान की न्यूनतम राशि का घटाना उचि नहीं है। सभी केसों में बिना किसी भेद-भाव के अनुदान की न्यूनतम राशि अन्तिम लिए गए वेतन के दस गुणा बराबर कम से कम 5,000 रुपए तथा अधिक से अधिक 15,000 रुपये जैसे कि इस पालिसी में था स्वीकृत की जा चाहिए। मुख्य सचिव (वैलफेयर-सैल) को न्यूनतम राशि मंजूर करने का जो प्राधिकार बाद की हिदायतों द्वारा दिया गया था वह बिना किसी संशोधन के कायम रहेगा। इस प्रकार उन केसों में जहां न्यूनतम अनुदान दिया जाना है, वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य न होगी।

2. कृपया इन अनुदेशों को नोट किया जाए और इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

उप सचिव सामान्य प्रशासन

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरका

क्रमांक 920-3 जी0 एस0-II-72/6248 दिनांक चण्डीगढ 2-3-72

एक प्रति महालेखापाल, हरियाणा, शिमला को हरियाणा सरकार के पृ0 क्र0 7260-3 जी0 एस0-II-71, 88 दिनांक 10-1-72 के संदर्भ में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।

भवदीय

हस्ता,–

उप सचिव सामान्य प्रशासन

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति :—

1. सभी वित्तायुक्तों तथा